

१. संसदीय शासन प्रणाली का परिचय

भारत के संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अथवा शासन प्रणाली को दर्शाया गया है, इसका अध्ययन हम प्रस्तुत पाठ में करेंगे।

क्या ये न म् भी अनभव ?

- संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं ?
- भारत के प्रधानमंत्री हैं परंतु अमेरिका के प्रधानमंत्री क्यों नहीं ?
- संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है ?

उपर्युक्त उल्लिखित कुछ प्रश्नों से हमारे ध्यान में आता है कि प्रत्येक देश की शासन प्रणाली का स्वरूप एक-दूसरे से भिन्न है। विविध प्रकार की शासन प्रणालियों का स्वरूप जानने से पहले हम शासन संस्थाओं के मुख्य अंगों की संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे।

इस संस्था में विधान मंडल कानून बनाने का कार्य करता है। कार्यकारी मंडल उन कानूनों की प्रत्यक्ष रूप में कार्यवाही करता है। न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। संविधान द्वारा इन तीनों अंगों के कार्य, उनके अधिकार क्षेत्र और सीमाएँ तथा तीनों अंगों के परस्पर संबंध निर्धारित किए जाते हैं। ये संबंध किस स्वरूप के हैं; इसपर शासन संस्था का स्वरूप निश्चित होता है।

इसके आधार पर शासन प्रणाली के बने मुख्य दो प्रकार दिखाई देते हैं। (१) संसदीय शासन प्रणाली (२) अध्यक्षीय शासन प्रणाली।

संसदीय शासन

संसदीय शासन प्रणाली मुख्यतः इंग्लैंड में विकसित हुई। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। आज भी वहाँ के शासन का अधिकांश कार्य रूढ़ संकेतों के आधार पर चलता है। 'पार्लियामेंट' भी

वहाँ की उत्क्रांत संस्था है। पार्लियामेंट पर आधारित पार्लियामेंटरी (Parliamentary) शासन प्रणाली को इंग्लैंड का योगदान माना जाता है। भारत में इस शासन प्रणाली को हमने संसदीय शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया है। अर्थात् इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली और भारत की संसदीय शासन प्रणाली में व्यापक रूप में समानता पाई जाती है परंतु संस्थात्मक उद्देश्य की दृष्टि से भारतीय शासन प्रणाली भिन्न है।

संसदीय शासन प्रणाली की निम्न विशेषताओं की हम जानकारी प्राप्त करेंगे।

- संसदीय शासन प्रणाली शासन चलाने की एक प्रणाली है। केंद्रीय शासन प्रणाली के विधान मंडल को 'संसद' कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद का निर्माण होता है।
- संसद की लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। इस सदन के सदस्यों की संख्या निर्धारित रहती है।
- निर्धारित समयावधि के पश्चात लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं। इन चुनावों में सभी राजनीतिक दल सहभागी होते हैं। इन चुनावों में जिस राजनीतिक दल को आधे से अधिक सीटें प्राप्त होती हैं, उस दल को बहुमत प्राप्त दल माना जाता है। बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है।
- कई बार किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता, ऐसे समय कुछ राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमत सिद्ध करते हैं और वे सरकार स्थापित करते हैं। इसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है।
- इस प्रकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधान मंडल के सदस्य बन जाते हैं और जिस

राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ है, वह दल सरकार बना सकता है ।

- जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और वह अपने कुछ सहयोगियों का मंत्री पदों के लिए चुनाव करता है ।
- प्रधानमंत्री और उनके द्वारा चुना गया मंत्रिमंडल संसदीय शासन प्रणाली में निहित कार्यकारी मंडल है । संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल पर दोहरा दायित्व रहता है । (१) कार्यकारी मंडल के रूप में उसे कानून का कार्यान्वयन करना पड़ता है । (२) वे विधान मंडल के सदस्य भी होते हैं । अतः उन्हें विधान मंडल के प्रति दायित्वों को भी निभाना पड़ता है ।

प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने सभी कार्यों और नीतियों के लिए पुनः विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं । इसका अर्थ यह है कि मंत्रिमंडल को विधान मंडल के अधीन रहकर ही शासन चलाना पड़ता है । इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को 'उत्तरदायी शासन प्रणाली' कहा जाता है । सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है । किसी विभाग का निर्णय राज्य का निर्णय मान लिया जाता है । इस निर्णय का उत्तरदायित्व संपूर्ण मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व होता है । उसे प्रत्यक्ष रूप में कैसे लाया जाता है, यह हम सोदाहरण अगले दो पाठों में देखेंगे ।

संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल विधान मंडल के विश्वास पर टिका रहता है । इसका अर्थ यह है कि जब तक कार्यकारी मंडल को विधान मंडल का समर्थन प्राप्त रहता है तब तक कार्यकारी मंडल अर्थात् प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल पद पर बना रहता है । यदि विधान मंडल अथवा संसद को ऐसा लगता है कि कार्यकारी मंडल विधि के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तब संसद अविश्वास प्रस्ताव लाकर कार्यकारी मंडल को सत्ता से निष्कासित करती है । अविश्वास प्रस्ताव कार्यकारी मंडल पर नियंत्रण रखने का एक प्रभावी साधन है ।

संसदीय शासन प्रणाली में संसद अथवा विधान मंडल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है । लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में आम जनता की अपेक्षाओं को रखते हैं । लोगों के हितों के लिए क्या करना चाहिए, यह संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है । संसद लोगों के प्रतिनिधियों की सदन है कारण और जनता के सर्वश्रेष्ठ अधिकार को व्यक्त करती है । अतः संसद का स्थान श्रेष्ठ है । इसलिए इस शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं ।

संसदीय शासन प्रणाली को हमने क्यों चुना है ?

भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है और उसके कुछ कारण हैं । ब्रिटिशों के शासन काल में भारत में संसदीय संस्थाओं की निर्मिति हुई थी । ब्रिटिशों ने इस प्रणाली के माध्यम से शासन चलाना शुरू किया था । संसदीय शासन प्रणाली भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक अभिव्यक्ति है । फलतः इस प्रणाली का भारतीयों को परिचय हुआ था । संविधान सभा में इस प्रणाली पर बड़ी चर्चा भी हुई थी । संविधानकर्ताओं ने इस प्रणाली में भारतीय परिस्थिति के अनुकूल ऐसे परिवर्तन किए ।

संसदीय शासन प्रणाली में चर्चा, परिचर्चाओं को बड़ा अवसर रहता है । संसद में सार्वजनिक हितों के प्रश्नों पर चर्चा होती है । इस चर्चा में विरोधी दलों के सदस्य भी सहभागी होते हैं । सही मुद्दों पर शासन को सहयोग देना, शासन की नीतियों अथवा कानून में निहित दोष दिखाना, प्रश्नों को अध्ययनपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना आदि कार्य विरोधी दल कर सकते हैं । इससे संसद को अधिक निर्दोष और सक्षम कानून बनाना संभव होता है ।

अधिकांश शासन प्रणाली

शासन चलाने की एक अन्य प्रणाली के रूप में अध्यक्षीय शासन प्रणाली का उल्लेख कर सकते हैं । अमेरिका में ऐसी शासन प्रणाली है । यह प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली से भिन्न है । विधान

मंडल से कार्यकारी मंडल निर्लिप्त रहता है और जिसमें कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्राध्यक्ष) सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। इस प्रणाली को ही अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहा जाता है। शासन संस्थाओं के तीनों अंग इस प्रणाली में एक-दूसरे से स्वतंत्र होते हैं परंतु उनके कार्यों में एकसूत्रता रहेगी, इसके लिए आवश्यक पारस्परिक संबंध भी रहते हैं। अमेरिका ने इस शासन प्रणाली का अंगीकार किया है। इस शासन प्रणाली की कुछ निम्न विशेषताएँ हैं;

- अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधान मंडल और कार्यकारी मंडल सीधे एक-दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। विधान मंडल के एक सदन का चुनाव सीधे जनता द्वारा तो राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव भी सीधे जनता द्वारा किया जाता है। राष्ट्राध्यक्ष

कार्यकारी प्रमुख होते हैं और उन्हें कानून का कार्यान्वयन करने के साथ-साथ अन्य अधिकार भी प्राप्त रहते हैं।

- अध्यक्षीय शासन प्रणाली में इस प्रकार की संरचना होने पर भी विधान मंडल और कार्यकारी मंडल एक-दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। एक-दूसरे पर नियंत्रण रखने से उत्तरदायी पद्धति से शासन चलाया जा सकता है।

संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अतिरिक्त अन्य कुछ शासन प्रणालियाँ फ्रांस, स्विटजरलैंड, जर्मनी आदि देशों में हैं। विभिन्न देश अपनी परिस्थिति के अनुकूल ऐसी शासन प्रणालियों का अवलंब करते हुए दिखाई देते हैं।

अगले पाठ में, हम भारतीय संसद की संरचना, कार्यप्रणाली और भूमिका आदि का अध्ययन करेंगे।

सी ध

१. नमि न से उन्ति न िकिरि रि से नखि ।

- (१) संसदीय शासन प्रणाली में विकसित हुई।
 (अ) इंग्लैंड (ब) फ्रांस
 (क) अमेरिका (ड) नेपाल
- (२) अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यकारी प्रमुख होते हैं।
 (अ) प्रधानमंत्री (ब) लोकसभा अध्यक्ष
 (क) राष्ट्राध्यक्ष (ड) राज्यपाल

- (२) संसदीय शासन प्रणाली में चर्चा और परिचर्चाओं को बड़ा महत्त्व प्राप्त है।

४. नमिनिखिखत ि के उत्तर २५ से ३० नखि ।

- (१) उत्तरदायी शासन प्रणाली किसे कहते हैं ?
 (२) अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषताएँ स्पष्ट करो।

५. नरीधी की भूनम्का म ि ण िति ि ? इस बारे अ ा मत नखि ।

उपक्रम

दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देखकर उसके निरीक्षण लिखो।



२. नमि सासणी ण करो ।

अ. क्र.	मंडल का नाम	कार्य
१.	विधान मंडल	
२.	कार्यकारी मंडल	
३.	न्यायपालिका	

३. नमि कथन कारण सन्ति करो ।

- (१) भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है।